हथकरघा श्रमिकों के लिए संशोधित समूह बीमा योजना के मार्गदर्शक बिंदु।

परिचय :- भारत सरकार ने 01 जुलाई, 2003 को विद्युत करघा बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना आरंभ की है जो जनश्री बीमा योजना एवं एड ऑन समूह बीमा योजना का सम्मिश्रण है। 01 जनवरी, 2008 को इस योजना में संशोधन किया गया जिसे विद्युत करघा बुनकरों के लिये समूह बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के संयुक्त तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही है।

12 वीं योजना में यह प्रस्तावित है कि इस योजना के अंतर्गत 01 सितंबर, 2012 में कुछ संशोधन कर इसे आगे नियमित किया जाए। इस योजना को विद्युत करघा बुनकरों के लिये समूह बीमा योजना के नाम से ही जाना जाएगा।

उद्देश्य :- इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि विद्युतकरघा बुनकरों को बीमे के दायरे में लाकर उन्हें, स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थाई या आंशिक विकलांगता होने पर राहत राशि उपलब्ध कराना।

पात्रता :- 1) विद्युतकरघा बुनकर की उम्र 18 से 59 वर्ष हो

2) यह योजना बी.पी.एल./ए.पी.एल. श्रेणी के हथकरघा श्रमिकों / बुनकरों के लिए सर्वव्यापक रूप से लागू होगी।

3) यह योजना विद्युतकरघा श्रमिकों के परिवारों के लिए है जो पावरलूम से संबंधित गतिविधियों में कार्यरत है जैसे ट्विस्टिंग, वाईडिंग, वार्पिंग तथा साईजिंग । ऐसे स्वनियुक्त बुनकर परिवार जिनके पास 04 लूम से ज्यादा लूम नहीं है वे भी इस योजना के पात्र होंगे।

4) परिवार अर्थात पति-पत्नि में से कोई एक लाभ पाने का पात्र होगा।

5) इस योजना का परिचालन सिर्फ एक वर्ष के लिए किया जाता है अर्थात लाभार्थी को एक साल के लिए अपने किश्त का भुगतान करना होगा। 12 वीं योजना के दौरान लाभार्थी

प्रत्येक वर्ष अपनी बीमा किश्त का भुगतान नियमित रूप से उम्र के 59 वर्ष तक कर सकता है।

योजना की मुख्य विशेषताए :-

प्रचलित समूह बीमा योजना का सिर्फ एक घटक होगा, जिसके लाभ एवं किश्त निम्न प्रकार से होंगे।

लाभ :-

अ) पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी (नॉमिनी) को रू.60,000/- की राहत राशि का भुगतान किया जाएगा।

ब) दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण आंशिक या स्थाई विकलांगता आने पर निम्नलिखित भुगतान किए जाएंगे।

दुर्घटना में मृत्यु पर	रू. 1,50,000/-
दुर्घटना के कारण पूर्णत: स्थाई विकलांगता पर	रू. 1,50,000/-
दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई विकलांगता पर	रू. 75,000/-

अतिरिक्त लाभ :- उपर्युक्त लाभ के अलावा जिन श्रमिकों का पंजीयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है एवं जिनके 02 बच्चे 9 वीं कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा में पढ रहे हैं उन बच्चों को प्रति बच्चा रू.600/- शैक्षिक अनुदान शिष्यवृत्ती के रूप में प्रति 6 माह के लिए (अधिकतम 04 वर्ष के लिए) शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे।

- अगर कोई विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हो जाता है और उसी कक्षा में रहता है तो वह विद्यार्थी अगले वर्ष उसी कक्षा के लिए लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।
- इस योजना के अंतर्गत, श्रमिक नूतनीकरण तिथि पर अपने किश्त का भुगतान नही करता है उनका बच्चा लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति का अंतिम चुनाव गरीब से गरीब इस निकष के आधार पर होगा चूंकि छात्रवृत्ति की संख्या सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य का बच्चा छात्रवृत्ति पाने के लिए तब पात्र होगा जब वह आवेदन पत्र (नोडल एजन्सी के पास उपलब्ध), पूर्णत: भरकर संबंधित नोडेल एजन्सी के पास जमा कराता है। उसके बाद नोडेल एजन्सी उस आवेदन पत्र को प्रमाणित करके लाभार्थी की सूची के साथ संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम (P&GS) को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु भेजेंगे।

भारतीय जीवन बीमा निगम नोडेल एजेन्सी के नाम से "अकाउन्ट पेयी चैक" के साथ लाभार्थियों की सूची नोडेल एजेन्सी को भेजेंगे जो पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति हस्तान्तरित करेगी जिसका रिकार्ड नोडेल एजेन्सी को रखना है एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) समय - समय पर भारतीय जीवन बीमा निगम के P&GS यूनिट को प्रस्तुत करना है।

किश्त :-

प्रति सदस्यों का वार्षिक अंशदान रू.470/- निम्न प्रकार से वर्गीकृत होगा।

भारत सरकार का योगदान	रू.290/-
श्रमिक / बुनकरों का योगदान	रू.80/-
सामाजिक सुरक्षा निधि से योगदान	रू.100/-
कुल किश्त	रू.470/-

परिचालन रूपात्मकता :-

1) समूह बीमा योजना वस्त्र आयुक्त का कार्यालय एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के संयुक्त तत्वावधान में कार्यान्वित की जाएगी।
2) वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय नोडल एजन्सी की हैसियत से इस योजना को कार्यान्वित करेंगे, जबकि कर्नाटक में "कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि." बंगलोर नोडेल एजन्सी होगी। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे विद्युतकरघा श्रमिकों / बुनकरों को इस योजना के लाभो से अवगत कराए, अधिकतम विद्युत करघा श्रमिकों / बुनकरों का पंजीयन करे एवं उन्हें आवेदन प्रपत्र भरने में मदद करें।
3) नोडेल एजन्सी अपने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के माध्यम से मेजर पावरलूम क्लस्टर के श्रमिकों / बुनकरों को सदस्य बनाने के लिए संगठित करेगी।
4) संभावित लाभार्थी के लिए जरूरी है कि वें आवेदन प्रपत्र सह नामाकंन प्रपत्र के साथ अपने किश्त की राशि नोडेल एजन्सी को जमा करें। इसके लिए फोटो पहचानपत्र, उम्र के संबंध में कोई भी कागजाती प्रमाण तथा वैद्यकीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि इस उद्देश के लिए स्वत: प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा।
5) पावरलूम सर्विस सेन्टर, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय एवं कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों / बुनकरों को सदस्य के रूप में पंजीकृत करेंगे, तत्पश्चात उनसे किश्त प्राप्त कर आवेदन प्रपत्र के साथ अपने-अपने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय / कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन को, जैसे भी स्थिति हो, प्रत्येक माह की 25 तारीख तक तथा किश्त राशि का डिमान्ड ड्राफ्टजो भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंधित अधिकार क्षेत्र के पक्ष में हो, आर.ओ./ के.एस.टी.आई.डी.सी. को भेजा जाएं। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं के.एस.टी.आई.डी.सी. को श्रमिकों से प्राप्त आवेदन पत्र तथा किश्त की राशि संकलित कर उसे भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को माह के अंतिम कार्य दिवस पर भेजना हैं।

6) नोडेल एजन्सियों की यह जिम्मेदारी एवं जवाबदेही होगी कि वें यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों / बुनकरों का अंशदान समय पर पहुंचे ताकि बुनकर बीमे के लाभ से वंचित न रहें साथ ही उन्हें क्लेम मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

7) भारतीय जीवन बीमा निगम को लाभार्थियों की सूची के साथ आवेदन प्रपत्र तथा किश्त राशि प्राप्त होने पर अगले कैलेंडर माह की पहली तिथि से मास्टर पॉलिसी जारी करेगा।

8) जमा की गई राशि वापस नही लौटाई जाएगी।

9) सदस्य द्वारा अगले वर्ष के लिए बीमे की राशि का भुगतान न करने पर इन्शुरन्स कवर अपने-आप समाप्त हो जाएगा।

10) यदि विद्युतकरघा श्रमिक इन्शुरन्स कवर के एक वर्ष के दौरान एक इकाई से दूसरी इकाई में काम करने के लिए चला जाता है तो उस लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत वर्तमान इकाई बदलने के संबंध में नोडल एजन्सी को सूचित करना होगा।

11) भारत सरकार से, किश्त का हिस्सा प्राप्त होते ही वस्त्र आयुक्त कार्यालय प्रत्येक माह में पंजीयन किए गए श्रमिकों की संख्या के आधार पर, भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को निधि जारी करेगा।

12) उक्त व्यवस्था, प्रत्येक क्षे. का. / के.एस.टी.आई.डी.सी.के सभी कार्यो के लिए एक समान होगी एवं उनके एक वर्ष में अधिकतम 12 समूह बनाने जाएंगें तथा प्रत्येक समूह के लिए एल.आई.सी. एक मास्टर पॉलिसी जारी करेगी अर्थात क्षे. का. / के.एस.टी.आई.डी.सी. के लिए एक वर्ष में अधिकतम 12 पॉलिसी होगी।

13) इस योजना में जब तक आंशिक परिवर्तन नहीं होता तब तक इस योजना के विज्ञापन एवं प्रशासकीय खर्च हेतु प्रति श्रमिक रू.10/-निश्चित किये गये हैं ।

<u>दावें की प्रक्रिया :-</u> सदस्य की मृत्यु या उसके विकलांग होने पर नामित व्यक्ति या लाभार्थी दावे से संबंधित अपेक्षित कागजी प्रमाण पत्र जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, दुर्घटना होने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम परीक्षण रिपोर्ट, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेंजों की मूल प्रतियां दावें के साथ संलग्न कर नोडेल एजन्सी को भेजेंगे जिसे यह एजन्सी एल.आई.सी. या फिर जिस शाखा को इस काम के लिए मूल रूप से चुना गया है उस शाखा को भेजेगी। एल.आई.सी. द्वारा इन दावों का निपटान करने के पश्चात लाभार्थी को चेक भेज कर या एन.ई.एफ.टी. / आर.टी.जी.एस. के द्वारा सीधे लाभार्थियों के बचत खाता क्रमांक में दावे की राशि जमा करायेगी जिसकी सूचना सबंधित नोडेल एजन्सी को देनी पडेगी।

<u>मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन :-</u> इस योजना के प्रगति की देख - रेख वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी जो मासिक यथा तथ्य फिजिकल रिपोर्ट एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को भेजेंगे। योजना के निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र एजन्सी द्वारा किया जाएगा।